संख्या: 82 /XXXVIII/2018/33/2018

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्,
झाझरा देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभागः देहरादूनः दिनांकः 07 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2019

विषयः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्(यू-कास्ट) के स्थाई/प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-290/XXVII(7)50 (16)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या-291/XXVII(7)30(8)/2016, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 एवं आपके पत्र संख्या 14226/वि0प्रौ0प0/सचि0/24/2017-18 दिनांक 14 मार्च 2018 के क्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वायत्तशासी संस्था "उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यू-कास्ट)" देहरादून के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सातवें वेतनमान का लाभ अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

1. उक्त अधिसूचना संख्या-290, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में संलग्न वेतन मैट्रिक्स में प्रति स्थापित वेतन इस प्रतिबन्ध एवं शर्त के साथ अनुमन्य किया जाता है कि इसमें होने वाला कोई भी परिवर्तन शासन की अनुमति से ही किया जायेगा।
2. परिषद् के ऐसे पद जिनके वेतन का व्यय-भार भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली अनुदान धनराशि से वहन किया जाता है, की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से सुनिश्चित की जायेगी, अन्य पदों पर आने वाला वार्षिक व्यय भार परिषद् द्वारा अपने स्रोत्रों एवं संसाधनों से वहन किया जायेगा एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।
3. उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में वर्तमान में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को फ्रीज करते हुए रिक्त पद पर भर्ती/चयन की कार्यवाही न की जायेगी। जिन पदों पर चयन की कार्यवाही गतिमान है, ऐसे पदों पर भर्ती/चयन हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः-2

जिन पदों पर आउटसोर्स/संविदा आधार पर कार्य लिया जा रहा है, ऐसे कार्मिकों को निर्गत शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार ही नियत मानदेय का भुगतान किया जायेगा एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 111/XXX(2)/2018-30(12)/2018 दिनांक 27.04.2018 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. परिषद् द्वारा समस्त कार्यो में मितव्ययता बरती जायेगी एवं परिषद् के आर्थिक/आय संसाधनों में वृद्धि हेतु भी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. कार्मिकों को सातवें वेतनमान के लाभों के नकदीकरण का लाभ आदेश निर्गत होने के आगामी माह से प्रभावी होगा। 01 जनवरी 2016 से अग्रेत्तर एरीयर लाभ के सम्बन्ध में तत्काल प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–403/VII-1/2018-233(उद्योग)/2008 दिनांक 15 जून 2018 *(छायाप्रति संलग्न)* के कम में शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. परिषद् में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नत योजना के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त आदेशों/नियमावली प्रावधानों को अतिक्रमित करते हुए नियमित कार्मिकों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नत योजना (एम0ए0सी0पी0एस0) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)/30(14)/ 2017 दिनांक 17.02.2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अ0 शा0 पत्र संख्या–31/XXVII(10)/2018, दिनांक 05 फरवरी 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नःयथोक्त।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्याः 22 /XXXVIII/2018/ 33/2018 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।